

मध्य प्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 5-5/2009/~~32~~ 32
प्रति,

भोपाल, दिनांक 05 अक्टूबर, 2018

नियंत्रक,
शा0केन्द्रीय मुद्रणालय,
मैदा मिल रोड, भोपाल

विषय: मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों/संस्थानों के प्रकरणों में पर्यावरणीय अधिनियमों के अंतर्गत लिये जाने वाले शुल्क के पुर्ननिर्धारण बाबत ।

उपरोक्त विषय में जारी की जाने वाली अधिसूचना की प्रति संलग्न प्रेषित है।
कृपया उक्त अधिसूचना को आगामी मध्यप्रदेश साधारण राजपत्र में प्रकाशित कर, उसकी 50 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।


संलग्न: यथोपरि ।

(डॉ० कैलाश वुन्देला)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग

क्रमांक एफ 5-5/2009/~~32~~ 32
प्रतिलिपि:

भोपाल, दिनांक 05 अक्टूबर, 2018 -

- 1/ निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, पर्यावरण विभाग ।
- 2/ सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


उप सचिव 5/118
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग

पर्यावरण विभाग
मध्य प्रदेश शासन,
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल दिनांक 05 अक्टूबर 2018

कमांक FS-5/09/22-जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 (1974 का 6) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श के पश्चात्, एतद् द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) (सम्मति) मध्य प्रदेश नियम 1975 में निम्नलिखित और संशोधन करती है :-

संशोधन

उक्त नियमों में

- 1 नियम-4 के खण्ड (पांच) में सारणी एक एवं सारणी दो को निम्नानुसार संशोधित सारणी एक व सारणी दो से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

सारणी एक

| क्र | कुल विनिधान | प्रस्तावित शुल्क |
|-----|---|------------------|
| 1 | रुपये 01 करोड़ से कम | 5,000/- |
| 2 | रुपये 01 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 03 करोड़ से कम | 15,000/- |
| 3 | रुपये 03 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 05 करोड़ से कम | 40,000/- |
| 4 | रुपये 05 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 10 करोड़ से कम | 60,000/- |
| 5 | रुपये 10 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 25 करोड़ से कम | 75,000/- |
| 6 | रुपये 25 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 50 करोड़ से कम | 1,00,000/- |
| 7 | रुपये 50 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 100 करोड़ से कम | 2,00,000/- |
| 8 | रुपये 100 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 200 करोड़ से कम | 3,00,000/- |
| 9 | रुपये 200 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 500 करोड़ से कम | 5,00,000/- |
| 10 | रुपये 500 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 1000 करोड़ से कम | 15,00,000/- |
| 11 | रुपये 1000 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 5000 करोड़ से कम | 25,00,000/- |
| 12 | रुपये 5000 करोड़ से अधिक | 30,00,000/- |

जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों हेतु पृथक-पृथक शुल्क देय होगा । सारणी एक में पूर्व उल्लेखित स्पष्टीकरण यथावत लागू होंगे ।

सारणी दो

खदानों से स्थापना सम्मति हेतु खदान क्षेत्रफल अनुसार रुपये 2,000/- प्रति हेक्टेयर राशि शुल्क के रूप में ली जायेगी तथा जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों हेतु पृथक-पृथक शुल्क देय होगा। सारणी दो में पूर्व उल्लेखित स्पष्टीकरण यथावत लागू होंगे।

- 2 नियम-5 में उप नियम (पांच) (क) में सारणी चार एवं सारणी पांच को निम्नानुसार संशोधित सारणी चार व सारणी पांच से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

सारणी चार

| क | कुल विनिधान | शुल्क (रुपये) |
|----|---|---------------|
| 1 | रुपये 01 करोड़ से कम | 5,000/- |
| 2 | रुपये 01 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 03 करोड़ से कम | 10,000/- |
| 3 | रुपये 03 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 05 करोड़ से कम | 20,000/- |
| 4 | रुपये 05 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 10 करोड़ से कम | 30,000/- |
| 5 | रुपये 10 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 25 करोड़ से कम | 50,000/- |
| 6 | रुपये 25 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 50 करोड़ से कम | 75,000/- |
| 7 | रुपये 50 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 100 करोड़ से कम | 1,00,000/- |
| 8 | रुपये 100 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 200 करोड़ से कम | 2,00,000/- |
| 9 | रुपये 200 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 500 करोड़ से कम | 3,00,000/- |
| 10 | रुपये 500 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 1000 करोड़ से कम | 5,00,000/- |
| 11 | रुपये 1000 करोड़ और उससे अधिक किन्तु रुपये 5000 करोड़ से कम | 15,00,000/- |
| 12 | रुपये 5000 करोड़ से अधिक | 25,00,000/- |

जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों हेतु पृथक-पृथक शुल्क देय होगा। सारणी चार में पूर्व उल्लेखित स्पष्टीकरण यथावत लागू होंगे।


सारणी पांच

खदानों से उत्पादन सम्मति/वार्षिक सम्मति नवीनीकरण हेतु खदान क्षेत्रफल अनुसार रुपये 1,000/- प्रति हेक्टेयर राशि शुल्क के रूप में ली जायेगी तथा जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों हेतु पृथक-पृथक शुल्क देय होगा। सारणी पांच में पूर्व उल्लेखित स्पष्टीकरण यथावत लागू होंगे।

3 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत म.प्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को देय शुल्क तालिका अन्तर्गत क्रम संख्या 5 पर वर्णित अपशिष्ट प्लास्टिक नियम 2016 के अन्तर्गत पंजीयन/अनुमति/प्राधिकार हेतु प्रशासकीय शुल्क की ऊपरी सीमा रुपये 5.00 लाख होगी ।

उपरोक्त संशोधन अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,

 5/4/18

(डॉ० कैलाश बुन्देला)

उप सचिव,

म०प्र० शासन, पर्यावरण विभाग

**Department of Environment
Government of Madhya Pradesh
Mantralaya, Bhopal**

NOTIFICATION

Bhopal Dated 05/10/2018

No/ F-5-5/09/32 In exercise of the powers conferred by Section 64 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (No. 6 of 1974), the State Government after consultation with the Madhya Pradesh Pollution Control Board, hereby makes the following further amendments in the Water (Prevention and Control of Pollution) (Consent) Madhya Pradesh Rules, 1975, namely :-

AMENDMENT

In the said rules, -

1. In Rule 4, sub Rule (5) Table-One and Table-two are substituted with following amended Table-One and Table-two :-

Table-One

| S.No | Total Investment (Rs.) | Fees (Rs.) |
|------|---|------------|
| 1 | Less than Rs 1 crores | 5,000 |
| 2 | Equal to or more than 1 crores but less than 3 crores | 15,000 |
| 3 | Equal to or more than 3 crores but less than 5 crores | 40,000 |
| 4 | Equal to or more than 5 crores but less than 10 crores | 60,000 |
| 5 | Equal to or more than 10 crores but less than 25 crores | 75,000 |
| 6 | Equal to or more than 25 crores but less than 50 crores | 1,00,000 |
| 7 | Equal to or more than 50 crores but less than 100 crores | 2,00,000 |
| 8 | Equal to or more than 100 crores but less than 200 crores | 3,00,000 |
| 9 | Equal to or more than 200 crores but less than 500 crores | 5,00,000 |
| 10 | Equal to or more than 500 crores but less than 1000 crores | 15,00,000 |
| 11 | Equal to or more than 1000 crores but less than 5000 crores | 25,00,000 |
| 12 | Equal to or more than 5000 crores | 30,00,000 |

Fees will be charged separately for applications under Water Act and Air Act. The earlier explanations as provided in Table-one will apply as it is.

Table-Two

Fees for consent to establish for mines will be Rs 2,000/- per hectare of mine area and will be charged separately for applications under Water Act and Air Act. The earlier explanations as provided in Table-two will apply as it is.

2. In Rule 5, sub Rule (5) (a) Table-four and Table-five are substituted with following amended Table-four and Table-five :-

Table-Four

| S.No | Total investment (Rs.) | Fees (Rs.) |
|------|---|------------|
| 1 | Less than Rs 1 crores | 5,000 |
| 2 | Equal to or more than 1 crores but less than 3 crores | 10,000 |
| 3 | Equal to or more than 3 crores but less than 5 crores | 20,000 |
| 4 | Equal to or more than 5 crores but less than 10 crores | 30,000 |
| 5 | Equal to or more than 10 crores but less than 25 crores | 50,000 |
| 6 | Equal to or more than 25 crores but less than 50 crores | 75,000 |
| 7 | Equal to or more than 50 crores but less than 100 crores | 1,00,000 |
| 8. | Equal to or more than 100 crores but less than 200 crores | 2,00,000 |
| 9 | Equal to or more than 200 crores but less than 500 crores | 3,00,000 |
| 10 | Equal to or more than 500 crores but less than 1000 crores | 5,00,000 |
| 11 | Equal to or more than 1000 crores but less than 5000 crores | 15,00,000 |
| 12 | Equal to or more than 5000 crores | 25,00,000 |

Table-Five

Fees for consent to operate/annual consent renewal for mines will be Rs 1,000/- per hectare of mine area and will be charged separately for applications under Water Act and Air Act. The earlier explanations as provided in Table-five will apply as it is.

3. In the table of the fees payable to M.P. Pollution Control Board for registration/permission/authorization under Environment (Protection) Act, 1986, for Plastic Waste Management Rules, 2016 mentioned at serial no. 5, the upper limit of administrative fee will be Rs. 5.00 Lakhs.

The above ammendments shall become effective from the date of publication of notification.

**By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh**


(Dr. Kailash Bundela)

**Depty Secretary
Environment Department
Govt. of Madhya Pradesh**